हिंदी अनुवाद

स्पीड पोस्ट/ई मेल

सं. 01/12/2014– VS (CRS)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली - 110066
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066

दूरभाष-फैक्स:: 26177330 ई-मेल : drg-crs.rgi@nic.in manojISS9.rgi@nic.in दिनांक - **18-05-2017**

परिपत्र

विषय: जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्रों (फार्म 5 और 6) में आधार/यूआईडी को प्रदर्शित न करने के संबंध में।

आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र संख्या 1/12/2014-वीएस (सीआरएस) दिनांक 20.01.2015 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत जन्म प्रमाण-पत्र में माता-पिता का आधार/यूआईडी संख्यांक और मृत्यु प्रमाण-पत्र में मृतक का यूआईडी संख्यांक, मृतक के माता-पिता एवं पति अथवा पत्नी (यदि मृतक विवाहित है) का यूआईडी संख्यांक अर्थात क्रमश फार्म 5 और 6 में दर्शाने की दृष्टि से एक कॉलम शामिल करने हेतु अनुदेश जारी किए गए थे।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि आधार/यूआईडी संख्यांक अनिवार्य नहीं है अपितु इसे माता-पिता की पहचान ज्ञात करने हेतु एक वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, उपर्युक्त प्रयोजनार्थ यदि आधार/यूआईडी संख्यांक प्राप्त किया जा रहा है तो संबंधित व्यक्ति की सहमति भी ले ली जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पहचान ज्ञात करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपयोग किए जा रहे अन्य दस्तावेज भी वैध हैं और चूंकि जन्म एवं मृत्यु के मामले में राज्य सरकार कार्यान्वयन एजेंसी है, अत: आईटी अधिनियम के प्रावधानों और आधार अधिनियम, 2016 के साथ-साथ राज्य द्वारा बनाए गए नियमों का भी अनुपालन किया जा सकता है। जहां कहीं भी राज्य सरकारों द्वारा आधार/यूआईडी संख्यांक का उपयोग निर्धारित किया जा रहा है, वहां यह सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी है कि किसी भी रूप में आधार/यूआईडी संख्यांक का प्रदर्शन न हो जिससे व्यक्ति की गोपनीयता प्रभावित हो। इस तरह का प्रदर्शन आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। इस संबंध में आवश्यक उपाय करना राज्य सरकार का एकल उत्तरदायित्व है।

3. यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीकृत सीआरएस ऑनलाईन जन्म/मृत्यु पोर्टल अर्थात www.crsorgi.gov.in के माध्यम से बनाए जा रहे जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्रों में आधार/यूआईडी संख्यांक प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर आवश्यक कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि आधार/यूआईडी संख्यांक संबंधित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्रों में प्रदर्शित न हो। इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराएं।

(मनोज कुमार)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

सेवा में,

सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु।